न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, केकड़ी, जिला–अजमेर

पीठासीन अधिकारी	:	**शुभम गुप्ता, आर.जे.एस.**
आपराधिक नि.प्र. संख्या	:	160/2017
सीआईएस संख्या	:	191/2017
CNR नंबर	:	RJAJ140003612017

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

ब ना म

मंगल पुत्र मन्नीराम, उम्र 30 साल, निवासी केकड़ी रोड़, सरवाड़ थाना सरवाड़, जिला अजमेर

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

उपस्थितिः–

1. अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य.
2. श्री महावीर गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त.

–––––

:: नि र्ण य :: **दिनांकः 23–03–2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17–09–2016 को प्रार्थिया सोनू ने न्यायालय के समक्ष एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि परिवादिया का विवाह अभियुक्त संख्या 1 मंगल गुर्जर के साथ हिन्दू रीति–रिवाज अनुसार ग्राम लसाड़िया में सम्पन्न हुआ तथा दिनांक 21.05.2009 को गौना हुआ था। विवाह एवं गौने के समय परिवादिया को उसके पिता द्वारा दिए गए उपहार/सामान मुल्जिमान को सुपुर्द किए गए। मुल्जिम संख्या 1 परिवादिया का पति, मुल्जिम संख्या 2 ससुर तथा मुल्जिम संख्या 3 सास है। गौना के पश्चात प्रारम्भ में कुछ समय तक व्यवहार सामान्य रहा, किन्तु तत्पश्चात मुल्जिमान दहेज कम लाने की बात कहकर परिवादिया को तंग करने लगे तथा 4–5 लाख रुपये नकद की मांग करने लगे। वे निरंतर ताने देते रहे कि विवाह उनकी हैसियत के अनुरूप नहीं हुआ है, जिससे मुल्जिम संख्या 1 का व्यवहार भी परिवर्तित होकर कठोर हो गया। परिवादिया जब भी पीहर जाती, अपनी पीड़ा बताती, किन्तु समझाइश देकर वापस भेज

देते तथा हर बार दिए गए उपहार/सामान को मुल्जिमान तिरस्कारपूर्वक फेंक देते थे। समय के साथ–साथ मुल्जिमान का व्यवहार और उग्र हो गया तथा वे गाली–गलौच व मारपीट करने लगे और संतान को लेकर भी ताने देते रहे। मुल्जिम संख्या 1 ने अनैतिक आचरण अपनाते हुए अन्य महिलाओं से संबंध रखे, शराब पीने लगा तथा विरोध करने पर परिवादिया के साथ मारपीट करता था। माह अप्रैल 2016 में परिवादिया की दादी की मृत्यु पर भी मुल्जिमान का व्यवहार अमानवीय रहा। तत्पश्चात मुल्जिमान ने बोलेरो जीप खरीदने हेतु 4 लाख रुपये की मांग की तथा असमर्थता जताने पर परिवादिया को मारपीट कर घर से निकाल दिया और उसका स्त्रीधन व जेवरात अपने पास रख लिए। बाद में समझौते के प्रयास भी असफल रहे तथा मुल्जिमान स्पष्ट रूप से 4 लाख रुपये मिलने पर ही परिवादिया को साथ रखने की बात पर अड़े रहे......आदि। उक्त इस्तगासा पर न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना केकड़ी को प्रेषित कर मुकदमा दर्ज कर नतीजा पेश करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर पुलिस थाना केकड़ी द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्त मंगल के विरुद्ध धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध प्रमाणित पाकर उक्त धाराओं में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर आरोपों से इनकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

3. तत्पश्चात्, यह प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश से न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, केकड़ी से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण को इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम

पीडब्ल्यू–1	गोपाल
पीडब्ल्यू–2	नंदलाल
पीडब्ल्यू–3	सोनू
पीडबल्यू–4	कालू
पीडब्ल्यू–5	छोटूलाल
पीडब्ल्यू–6	रामधन
पीडब्ल्यू–7	कैलाश चंद
पीडब्ल्यू–8	मानसिंह चौधरी

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम
–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
2	एसपी आफिस भेजी गई रिपोर्ट	प्रदर्श पी–2
3	डाक रसीद	प्रदर्श पी–3
4	परिवाद	प्रदर्श पी–4
5	दहेज के सामान की सूची	प्रदर्श पी–5
6	पुलिस बयान कालू	प्रदर्श पी–6
7	पुलिस बयान छोटूलाल	प्रदर्श पी–7
8	पुलिस बयान रामधन	प्रदर्श पी–8
9	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्श पी–9
10	फर्द पेशकशी	प्रदर्श पी–10
11	विवाह संबंधी दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस	प्रदर्श पी–11
12	मुलजिम मंगल को 41 सीआरपीसी का नोटिस	प्रदर्श पी–12
13	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–13
14	चैक लिस्ट	प्रदर्श पी–14

15	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी–15

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
1.	–	–

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं:–

क्या अभियुक्त मंगल द्वारा परिवादिया के साथ विवाह के पश्चात् उसका पति रहते हुये समय–समय पर चार लाख रुपये के दहेज की मांग को लेकर उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया एवं विवाह के समय दिया गया स्त्रीधन मांगने पर भी परिवादिया को नहीं लौटाकर बेईमानीपूर्वक आशय से हड़पकर आपराधिक न्यासभंग कारित किया?

यदि हां, तो दण्ड की मात्रा क्या होगी?

6. उक्त बिंदु के संबंध में अभियोजन द्वारा पी.ड.–3 के रूप में परिवादिया सोनू को परीक्षित करवाया गया है। परिवादिया/गवाह सोनू द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि उसका विवाह बचपन में मंगल के साथ हुआ था। सन 2009 में उसक गौणा हो गया था, जिसके बाद वह ससुराल में रही। दो–तीन साल तो मंगल ने ठीक रखा फिर बाद में चार लाख रूपये अपने पिताजी से लाने की बात कहकर उसके साथ मारपीट करता था व दहेज कम देने का ताना देता था। फिर चार लाख रूपये की मांग कर मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया तथा उसका स्त्रीधन मांगने पर भी उसे नहीं दिया। तब से वह अपने पीहर रह रही है। गवाह द्वारा अंत में एफआईआर प्रदर्श पी–1, एसपी आफिस में भेजी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी–2, डाक रसीद प्रदर्श पी–3, परिवाद प्रदर्श पी–4 तथा दहेज के सामान की सूची प्रदर्श पी–5 की पुष्टि की गई। जिरह के दौरान गवाह ने यह कथन किया

है कि वह एक डेढ साल से पीहर में ही रह रही है। वह सात आठ साल से ससुराल नहीं गई, पीहर में ही रह रही है। उसके और उसके ससुराल वालों के बीच कोई झगड़ा हुआ हो उसका साल, माह व तारीख उसे याद नहीं है। उसने अपने ससुराल वालों व पति से सामान (स्त्रीधन) की मांग नहीं की। सात आठ साल से उसके ससुराल वाले उसे लेने नहीं आए तथा सात आठ सालों में उसके परिवार वालों ने उसे ससुराल नहीं भेजा।

07. पत्रावली पर पी.ड. 1 के तौर पर गोपाल परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में सोनू को उसकी पुत्री होना बताया है तथा उसका विवाह मंगल के साथ किया जाकर 2009 में उसका गौणा करने के कथने किए हैं। गवाह ने कथन किया है कि दो तीन साल तो मंगल ने सोनू को सही रखा फिर उसके बाद दहेज की मांग कर मारपीट करने लगा। मंगल सोनू से अपने पिता से चार लाख रूपये लाने की मांग करता तथा नहीं लाने पर उसके साथ मारपीट करता। फिर मंगल ने दहेज की मांग कर सोनू को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया तथा सोनू को स्त्रीधन मांगने पर भी नहीं दिया। गवाह ने जिरह में कथन किया कि वह सोनू के ससुराल 2016 में गया था तब सोनू उसके साथ नहीं थी, सोनू उनके घर पर ही थी। पांच माह पूर्व से सोनू उनके साथ ही रह रही थी। उसने शादी में दिए सामान के कोई बिल वाउचर पेश नहीं किए। उन्होंने उनके दिए हुए सामान की आज तक मांग नहीं की। सोनू व उसके ससुराल के बीच कब कब लड़ाई झगड़ा व तंग परेशान किया उसका सन व महीना याद नहीं है। फिर कहा 2015 में परेशान किया था, उसके बाद नहीं किया था। अक्टूबर 2015 से सोनू उसके पास पीहर में ही रह रही है। अक्टूबर 2015 के बाद न तो सोनू को कोई लेने आया और न ही उन्होंने भेजा। गवाह ने अंत में कथन किया कि मंगल व उसके परिवारजन गहने व झगड़े की राशि छोड़ दे तो उनके कोई विवाद नहीं रहेगा।

08. इसी क्रम में पी.ड. 2 के तौर पर नंदलाल परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में सोनू को अपनी चचेरी बहन होने के कथन किए हैं तथा उसका विवाह मंगल के साथ होने के कथन किए हैं। गवाह द्वारा यह भी कथन किया गया है कि दो तीन साल तो मंगल ने सोनू को सही रखा फिर उसके बाद मंगल सोनू से अपने पिताजी से चार लाख रूपये की मांग करता तथा नहीं लाने पर सोनू के साथ मारपीट करता। मारपीट कर पैसों की मांग करते हुए मंगल ने सोनू को घर से बाहर निकाल दिया व उसका स्त्रीधन भी

मांगने पर उसको नहीं दिया। तब से सोनू पीहर में रह रही है। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि दो साल से सोनू उनके पास ही रह रही है। सोनू उनके पास सोनू की दादी के शांत होने के पहले से रह रही है। उसके सामने सोनू और मंगल के कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उसके सामने जब वह समझाने गया तब मंगल ने अपनी मांग को लेकर सोनू को ले जाने से मना कर दिया। सोनू के ससुराल वालों ने कब कब परेशान किया उसकी तारीख, महीना व साल उसे याद नहीं है। सोनू को अंतिम बार वे लेने नहीं गए थे, सोनू खुद ही चलकर आई थी।

09. इसी क्रम में पी.ड. 7 के तौर पर कैलाश चंद परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह गोपाल की लड़की सोनू को जानता है, जिसकी शादी बचपन में मंगल राम सरवाड़ वाले के साथ हुई थी। मंगल ने सोनू को तीन चार साल तक सही रखा। उसके बाद में उसका पति सोनू को बोलने लगा कि शादी में कुछ नहीं दिया, समाज में उनकी नाक कटवा दी और बाद में चार लाख रूपये दहेज की मांग करने लगा। फिर सोनू को 2016 में घर से निकाल दिया। यह सारी बातें सोनू ने उसको बताई, क्योंकि वो उनके घर आती–जाती थी। सामान उसी के पास है, वापस नहीं किया। जिरह के दौरान गवाह ने यह कथन किया कि उसके सामने सोनू व उसके ससुराल वालों के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ, अजखुद कहा कि वो आकर ही बताती थी। उसे कब कब बताया तारीख, दिन व वर्ष उसे याद नहीं है। उसके सामने सोनू ने अपने ससुराल वालों से सामान की मांग नहीं की। इन पांच वर्षों में सोनू कहां रह रही है, उसे पता नहीं है। वह 2016 से पहले और सोनू की शादी के बाद सोनू के पिताजी के साथ पढ़ता था, इसलिए पता है। इन चार पांच वर्षों में सोनू के पिता से उसकी मुलाकात इसलिए नहीं होती कि वे टीचर हो गए हैं।

10. उक्त समस्त सामग्री के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादिया ने अभियुक्त के विरुद्ध उसके साथ दहेज की मांग करने, मारपीट कर घर से बाहर निकालने के आरोप लगाये हैं। इस क्रम में हालांकि अपने मुख्य परीक्षण के दौरान परिवादिया पी.ड.–3, गवाह पी.ड. 1, पी.ड. 2 तथा पी.ड. 7 ने परिवादिया सोनू के साथ उसके पति मनोज द्वारा मारपीट करने तथा सोनू से दहेज की मांग करने के कथन किए हैं, परंतु जिरह के दौरान परिवादिया पी.ड. 3 तथा गवाह पी.ड. 1 व पी.ड. 2 ने यह कथन किया है कि सोनू व उसके ससुराल वालों के बीच कब–कब लड़ाई झगड़ा हुआ,

उसकी तारीख उन्हें याद नहीं है। गवाहान ने अपने समस्त परीक्षण में परिवादिया सोनू के साथ हुई क्रूरता के संबंध में तारीख अथवा स्थान से संबंधित कोई कथन नहीं किए हैं। गवाहान द्वारा अभियुक्त द्वारा परिवादिया के साथ किसके समक्ष क्रूरता की गई, इस संबंध में भी कोई कथन नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में दहेज की मांग तथा मारपीट के संबंध में गवाहान के बयान Omnivous होना प्रकट होते हैं। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि Omnivous स्टेटमेंट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संदेह से परे स्थापित नहीं होता है।

11. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **राजेश चड्डा बनाम उत्तरप्रदेश राज्य 13 मई, 2025** का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय ने अपने उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह पाया है कि –

"8. At the outset, an act of 'cruelty' for the purpose of Section 498A, corresponds to a willful conduct of such nature, that may cause danger to the life, limb and health of the woman, which is inclusive of the mental and physical health and the harassment caused to her, by coercing her to meet unlawful demands or impossible standards. Further, the demand for dowry in terms of Section 3 and Section 4 of the D.P. Act, 1961 refers to both a direct or indirect manner of demand for dowry made by the husband or his family members. In order to meet the threshold of the offences under Section 498A IPC & Sections 3 & 4 of the D.P. Act, 1961, **the allegations cannot be ambiguous or made in thin air.**

9. In the present case, the allegations made by the Complainant are vague, omnibus and bereft of any material particulars to substantiate this threshold. **Apart from claiming that Appellant husband harassed her for want of dowry, the Complainant has not given any specific details or described any particular instance of harassment.** The allegations in the FIR, and the depositions of the prosecution witnesses suggest that on multiple occasions, the Complainant wife was ousted from the matrimonial house, and kicked and punched in the presence of her father, PW-2 herein and she was repeatedly tormented with dowry

demands, and when she was unable to honor them, the Appellant and her family physically beat her up; **whereas she has not mentioned the time, date, place, or manner in which the alleged harassment occurred.** It is alleged that the Complainant suffered a miscarriage, as she fell down, when the Appellant and her family who pushed her out of the house; however, no medical document from any medical institution or hospital or nursery was produced to substantiate the allegations.

10. Upon carefully considering the record, we find that apart from the statements of PW–1 and PW–2, there is no evidence to substantiate the allegations of harassment and acts of cruelty within the scope of Section 498A of IPC, and Section 4 of the D.P. Act, 1961. For this reason, we find merit in the submission of the learned Counsel for the Appellant, and are of the considered view that there is no material on record to establish the allegations of hurt or miscarriage, and of hurt and criminal intimidation in terms of Section 323 r/w 34 and Section 506 IPC respectively. The Trial Court has rightly held that evidence of the Complainant is the only strong evidence that she sustained injuries on various parts of her body due to the physical assault by the accused persons, and that there was no medical examination conducted by the Complainant, so as to prove that the miscarriage was a consequence of the physical assault.

14. The term "cruelty" is subject to rather cruel misuse by the parties, and cannot be established simpliciter without specific instances, to say the least. The tendency of roping these sections, without mentioning any specific dates, time or incident, weakens the case of the prosecutions, and casts serious suspicion on the viability of the version of a Complainant. We cannot ignore the missing specifics in a criminal complaint, which is the premise of invoking criminal machinery of the State. Be that as it may, we are informed that the marriage of the Appellant has already been dissolved and the divorce decree has attained finality, hence any further prosecution of the Appellant will only tantamount to an abuse of process of law."

12. इससे अतिरिक्त माननीय त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **अचादुर रहमान बनाम त्रिपुरा राज्य 2015 0 सुप्रीम (त्रि.)** 53 में यह पाया है कि –

"12. After going through the evidences on record, this Court is of considered opinion that the whole conviction is based on omnivous statements of PW–1 and, according to this Court, on **such omnivous statements, an order of conviction cannot be upheld, particularly, when the said evidence is not corroborated by other witnesses."**

13. इसी क्रम में यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पी.ड. 7 कैलाश चंद ने अपने परीक्षण के दौरान यह सुझाव दिया है कि घटना के बारे में सोनू उसे बताती थी तथा अपनी जिरह के दौरान यह कथन किया है कि उसके सामने सोनू व उसके ससुराल वालों के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ, अजखुद कहा कि वो आकर ही बताती थी, जिसकी तारीख उसे याद नहीं है। गवाह के कथनों से यह प्रकट होता है कि गवाह क्रूरता की घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा उसके द्वारा केवलमात्र परिवादिया द्वारा बताएनुसार कथन किए गए हैं, जिस कारण उक्त गवाह हियरसे साक्षी की श्रेणी में आता है, जिसके बयानों के आधार पर उक्त घटना के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है।

14. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त गवाहान द्वारा अभियुक्त मंगल गुर्जर द्वारा परिवादिया के साथ मारपीट करने के कथन किए गए हैं, परंतु पत्रावली पर मारपीट की पुष्टि बाबत कोई मेडिकल संबंधित साक्ष्य मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन का कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

15. इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादिया ने अपने बयानों के दौरान एफआईआर प्रदर्श पी–1 की पुष्टि की है। प्रदर्श पी–1 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त फर्द में परिवादिया ने यह अभिकथन किए हैं कि वर्ष 2016 तथा उसके पश्चात भी वह अपने ससुराल रह रही थी तथा अभियुक्त द्वारा उसके साथ क्रूरता कारित की गई थी। उक्त

अभिकथनों से विपरीत अभियोजन के गवाहान पी.ड.1 लगायत पी.ड. 3 के बयानों से यह प्रकट होता है कि परिवादिया 2016 से पूर्व ही अपने पीहर आकर रहने लगी तथा उसके पश्चात अपने ससुराल वापस कभी नहीं गई। ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्य में विरोधाभास होना प्रकट होता है, जिस आधार पर अभियोजन का कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

16. इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिरह के दौरान परिवादिया के पिता गोपाल पी.ड. 1 ने यह कथन किया है कि मंगल व उसके परिवारजन गहने व झगड़े की राशि छोड़ दे तो उनके कोई विवाद नहीं रहेगा। गवाह के उक्त कथनों से यह प्रकट होता है कि वास्तव विवाद गहने व झगड़े की राशि को लेकर है।

17. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर पी.ड. 4 के तौर पर कालू, पी.ड. 5 के तौर पर छोटूलाल तथा पी.ड. 6 के तौर पर रामधन परीक्षित हुए हैं। उक्त गवाहान अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं तथा गवाहान द्वारा अपने परीक्षण में विरोधाभासी कथन किए गए हैं। उक्त गवाहान के समस्त परीक्षण के अवलोकन पश्चात न्यायालय का यह विनम्र मत है कि उक्त गवाहान के बयानों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है।

18. इसी क्रम में पी.ड. 8 के तौर पर प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी मानसिंह चौधरी परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में उसके द्वारा दौराने अनुसंधान की गई समस्त कार्यवाही की पुष्टि की है तथा जिरह के दौरान गवाह ने यह सुझाव सही बताया है कि परिवादिया ने अपने स्त्रीधन के समर्थन में बिल पेश नहीं किया है।

19. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से अतिरिक्त धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप भी है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो यह प्रकट होता है कि हालांकि गवाह पी.ड. 1 लगायत पी.ड. 3 तथा पी.ड. 7 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि परिवादिया के परिवारजन ने विवाह के समय उसे सामान, जेवरात इत्यादि दिए थे तथा उसका स्त्रीधन

मांगने पर भी अभियुक्त द्वारा उसे नहीं लौटाया गया है, परंतु जिरह के दौरान गवाह संख्या पी.ड. 1 तथा परिवादिया/गवाह संख्या पी.ड. 3 ने यह कथन किए हैं कि परिवादी पक्ष ने अभियुक्त से परिवादिया के स्त्रीधन की मांग नहीं की। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 1 ने अपनी जिरह के दौरान यह भी कथन किया है कि उसने शादी में दिए सामानों का कोई बिल वाउचर पेश नहीं किए। गवाह पी.ड. 8 ने भी अपनी जिरह के दौरान यह सुझाव सही बताया है कि परिवादिया ने अपने स्त्रीधन के समर्थन में बिल पेश नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन यह संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है कि परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त में स्त्रीधन का सामान न्यस्त किया गया हो तथा अभियुक्त द्वारा उक्त सामान परिवादिया द्वारा मांगने पर भी नहीं लौटाकर आपराधिक न्यास भंग कारित किया हो।

20. अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि अभियोजन की कहानी में लेशमात्र भी संदेह उत्पन्न होता है तो उसका सीधा लाभ अभियुक्त को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त मंगल गुर्जर को धारा 498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

21. अतः मंगल पुत्र मन्नीराम, उम्र 30 साल, निवासी केकड़ी रोड़, सरवाड़ थाना सरवाड़, जिला अजमेर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए, 406, 323, 494 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत रुपये 10,000/– के जमानत मुचलके पेश करने हेतु आदेश दिया जाता है।

{शुभम गुप्ता}
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग
केकड़ी, जिला–अजमेर

22. निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को विवृत न्यायालय में मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

{शुभम गुप्ता}
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग
केकड़ी, जिला–अजमेर

––––